



भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय - नई दिल्ली
NORTHERN REGIONAL OFFICE - NEW DELHI

कारण बताओ नोटिस

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित नोटिस प्राप्तकर्ता को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए थे। कारण बताओ नोटिस रिकॉर्ड पर उपलब्ध अंतिम ज्ञात पतों पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। एससीएन का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्र मां क	नोटिसी का नाम	नोटिसी का पता	स्क्रिप/केस का नाम	सूचना दिनांक एवं सं.
1	जियोशाइन माइंस 2 मेटल्स लिमिटेड सीआईएन: U74110UP1997PLC021979	पी.नं. 1033 एसए, कटौला गौशपुर मेन रोड एयरपोर्ट, पोस्ट- बमरौली, थाना। धूमनगंज, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत 211012	जियोशाइन माइंस 2 मेटल्स लिमिटेड के मामले में	कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 मई 2024 (सेबी/एनआर ओ/एनआरओ /एनआरओ/पी /ओडब्लू/202 4/16495/1)
2	दीना नाथ मोर्य डीआईएन: 02824654 पैन: BJJPM1012K	खमरिया, एस आर एन, भदोही उत्तर प्रदेश, भारत-221306		कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 मई 2024 (सेबी/एनआर ओ/एनआर ओ/एनआर ओ/पी/ओड ब्लू/2024/16 498/1)
3	अरविन्द तिवारी डीआईएन: 1629407 पैन: ADXPT8691C	ए-51 न्यू आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत-282005		कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 मई 2024 (सेबी/एनआर ओ/एनआर ओ/एनआर ओ/पी/ओड ब्लू/2024/16 502/1)

4	रामेन्द्र प्रसाद शर्मा डीआईएन: 2518373 पैन: AOBPS4499A	48, मोहतशिम खान, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, भारत-262001	कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 मई 2024 (सेबी/एनआर ओ/एनआर ओ/एनआर ओ/पी/ओड ब्लू/2024/16 510/1)
5	राज कुमार वर्मा डीआईएन: 6605102	303, यूसुफ जय-2 चौधराना, फ़तेहपुर, उत्तर प्रदेश, भारत-212601	कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 मई 2024 (सेबी/एनआर ओ/एनआर ओ/एनआर ओ/पी/ओड ब्लू/2024/16 512/1)

उक्त नोटिसीको सलाह दी जाती है , कि वे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, 8वीं मंजिल, प्लेट बी, टॉवर 1, एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, पूर्वी किदवानी नगर, नई दिल्ली-110023 से कारण बताओ नोटिस (एससीएन) सूचना एकत्र करें।

नोटिसी कारण बताओ नोटिस की प्रति सेबी की आधिकारिक वेबसाइट) www.sebi.gov.in से " Unserved Summons/Notices) समन / सूचनाएँ (नोटिस) - जिनकी तामील नहीं की जा सकी " (शीर्षक के तहत डाउनलोड कर सकते हैं या haria@sebi.gov.in / gyanendran@sebi.gov.in पर एक अनुरोध भेजकर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है , तो सेबी रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे की कार्यवाही करेगी।

दिनांक: 01 अगस्त 2024

स्थान: मुंबई

ज्ञानेंद्र नीरज

उप महाप्रबंधक